न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 06 / 2024

1 मनीष कुमार पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल आयु 36 साल जाति कुम्हार निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल निवासी नीमकाथाना राज.।
2 सुमन पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल आयु 39 साल पत्नी सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी बड़ाऊ हाल आबाद चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 बबीता पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल आयु 30 साल पत्नी विनोद कुमार जाति कुम्हार निवासी बड़ाऊ हाल आबाद जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 केदार पुत्र स्व. कालू आयु 84 साल जाति कुम्हार निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल निवासी नीमकाथाना राज.।
2 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री केदार वसीयत कर्तनी ज्ञानी पुत्री स्व. श्री कालू पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल निवासी नीमकाथाना राज.।
3 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाउ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल जिला नीमकाथाना राज.।
4 लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल जिला नीमकाथाना राज.।
5 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल जिला नीमकाथाना राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम बखिलाफ आदेश दिनांक 03.11.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, उनवानी
मनीष कुमार वगै. बनाम केदार वगै. मु.नं. 64/2022
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री रविन्द्र सिंह भोल्याण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र कुमार बजाड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2022 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 1043, 1076 हाल खसरा नम्बर 1236, 1405, 1406 वाके ग्राम बड़ाऊ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय में भूमि मौके पर जो 3 भागो में 20 साल पूर्व से ही विभाजित कर रखी है तथा अपीलान्टस 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सख्या एक 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या दो भी 1/3 हिस्सा अलग–अलग मौके पर काश्त करते है तथा गत 20 सालों से अलग–अलग मौका काश्त करते है। इस बाबत पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट मांगने के लिए अपीलान्टस द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर विचारण न्यायालय ने ना तो कोई रिपोर्ट मंगवाई तथा ना ही उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आदेश पारित किया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र व दस्तावेजो में कोई गंभीरता दिखाई, ना ही कोई विवेचना की तथा बिना विचार किये ही अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र बिना किसी उचित कारण के खारिज कर दिया जबकि प्रारम्भ से ही इस प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.06.2022 को जारी की हुई थी इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि में अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की बनवाई हुई बोरिंग है जिस पर विद्युत का कनेक्शन ले रखा है जिसमें अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 अपनी भूमि को सिंचित करते है तथा विद्युत कनेक्शन लगने से आज तक निरन्तर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 विद्युत बिल की राशि जमा करवाते आ रहे है उक्त विद्युत कनेक्शन लेते समय डिमाण्ड नोटिस की राशि भी अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जमा करवाई है। विद्युत बिलो की फोटो कॉपी विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र में वर्णित भमि के जवाब में उक्त भूमि 400/– रूपये में राजूपतों को देकर लेना दर्ज किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास राजपूतों से 400/– रूपये में उक्त भूमि मोल लेने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। वैसे भी 100/– रूपये एवं 100/– रूपये से अधिक की अचल संपति खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जो इस प्रकार का दस्तावेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हित अधिकारों की हद तक अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपीलांट ने विवादित भूमि के संदर्भ में घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी अपीलांट के हक हिस्से का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना है। इससे पूर्व रिकार्डेड खातेदार को पाबंद करने के लिए प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट का था। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट ने विवादित भूमि के संदर्भ में घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी अपीलांट के हक हिस्से का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना है। इससे पूर्व रिकार्डेड खातेदार को पाबंद करने के लिए प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट का था। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर